



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़, 1942 (श०)

संख्या- 322 राँची, शुक्रवार,

10 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

05 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-139/2016-5662 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-इलाहाबाद 'उ0प्र0'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध मनरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष -2015-16 में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में विहित प्रक्रिया नहीं अपनाने, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने, काण्डी प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत-सरकोनी में विभागीय निदेश के विपरीत मनरेगा अंतर्गत डोभा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना, जिला आपूर्ति शाखा, गढ़वा द्वारा आपूर्ति संबंधी कार्यों का सम्पादन तथा गोदाम के नियमित संचालन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्गत पत्र के आलोक में प्रभार लिये जाने की सूचना नहीं दिया जाना, पंचम लघु सिंचाई गणना का प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा को उपलब्ध नहीं कराया जाना, प्रखण्ड कांडी के एक पंचायत घटहुआकला में 59 डोभा का प्रस्ताव देना एवं मनरेगा के तहत मेडिकल कीट एवं योजना पट्ट के क्रय में बिना टेंडर के लाखों रुपये की सामग्री का आपूर्ति आदेश देना, वित्तीय नियमावली का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता बरतना, अत्यधिक राशि का भुगतान करना एवं सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री स्वर्णकार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री स्वर्णकार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री स्वर्णकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री स्वर्णकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANGAR NATH SWRNAKAR 110091296555	श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-इलाहाबाद 'उ0प्र0'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
